

उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोंई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025 / 521
दायरा तिथि : 01.05.2025

आदेश तिथि : 24-09-2025
प्रार्थी :-

1. घीसाराम पुत्र चमनाराम चौधरी
2. ओगडराम पुत्र चमनाराम चौधरी निवासीगण फतापुरा तहसील बाली

अप्रार्थी :-

ब नाम

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेंड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 24-09-2025
प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बमणीया पटवार हल्का मौखमपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर क्रमशः 349, 350, 351, 352, 353, 354, 349/1, 352/1 रकबा क्रमशः 0.0500 हैक्टर, 0.0100 हैक्टर, 0.0400 हैक्टर, 0.4800 हैक्टर, 0.5900 हैक्टर, 1.9000 हैक्टर, 0.1900 हैक्टर, 0.0400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बमणीया पटवार हल्का मौखमपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 347 रकबा 0.4900 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में भू-अभिलेख निरीक्षक मौखमपुरा को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/1531 दिनांक 05.06.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि प्रार्थी के खेत से कटान मार्ग पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता खसरा न0 347 ही एकमात्र विकल्प है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त रास्तों के विकल्पों में से निकटतम दुरी का है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्त मौके पर प्रचलित है एवं प्रार्थीगण इसी मार्ग से आवागमन करते हैं।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	347	0.4900	बा.अ.	65X09=585वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. यह कि निरीक्षक भू-अभिलेख मौकमपुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 2,21,000/- रुपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

//02//
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025/174
 अनवान घीसाराम बनाम सरकार
 अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम ग्राम बगणीया पटवार हल्का मौखमपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर क्रमशः 349, 350, 351, 352, 353, 354, 349/1, 352/1 रकबा क्रमशः 0.0500 हैक्टर, 0.0100 हैक्टर, 0.0400 हैक्टर, 0.4800 हैक्टर, 0.5900 हैक्टर, 1.9000 हैक्टर, 0.1900 हैक्टर, 0.0400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ p/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 634/1 रकबा 0.56 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 1265 रकबा 0.0600 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1513/1136 रकबा 0.4400 हैक्टर में से 325 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे।
 प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रुपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 2,21,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
347	0.4900	65X05=325 वर्गमीटर	23	7475X2=14950	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 14950/- (अक्षरे चौदह हजार नौ सौ पचास रुपये मात्र) रुपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकर्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकर्ड में रूपल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।




क्रमांक/कोर्ट/2025/1294-1298
 प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा
3. पटवारी हल्का, मौखमपुरा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक घीसाराम पुत्र चमनाराम चौधरी निवासी फतापुरा तहसील बाली वर्षरा को सूचनार्थ।

(विशेष बिरनोई)
 आर.ए.एस.
 सहायक कलेक्टर (वि.मं.)
 उपखण्ड अधिकारी, बाली
 उपखण्ड न्यायालय, बाली
 दिनांक 25-03-25

सहायक कलेक्टर (वि.मं.)
 उपखण्ड अधिकारी, बाली

354
महेश माता बमोमा
रुक्मिणी - बाली



पुस्तकित शाला क्षेत्र
उपरी रकबा 0.49 हे.मं.सि
65 मी. x 9 मी. = 585 वर्गमीटर

कानलाल
निरीक्षक (म.ज.)
मुम्बई

रवतीनदर, बाली